

पत्रक

General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9]

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी- सुशील कुमार सैनी आर.ए.एस. नवलगढ़

अजू कंवर पुत्री स्व० मेघ सिंह पत्नी बाघ सिंह जाति राजपूत निवासी पुरोहितो की ढाणी अम्बेडकर नगर तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।	-बनाम-	ग्यारसी कंवर पुत्री मेघसिंह पत्नी भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी पुरोहितों की ढाणी अम्बेडकर नगर तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
किस्म मुकदमा - प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा।		मु.नं. ...11.०... / 2025 GCMS No
आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
30.05.2025	<p>आज यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदक की ओर से वकील श्री सम्पत सिंह शेखावत द्वारा विरुद्ध अनावेदकगण बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद अवलोकन कर दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील आवेदक द्वारा प्रकरण मे निवेदन किया कि राजस्व ग्राम अम्बेडकर नगर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 550 रकबा 0.4700 है० तथा खसरा नम्बर 558 रकबा 0.0500 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.5200 है भूमि आवेदिका व अनावेदकगण की पैत्रिक भूमि है जिसका राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज चला आ रहा है। गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उक्त भूमि को अनावेदक संख्या 19 विक्रय कर खुर्द बुर्द करने पर अमादा है। अतः अनावेदकगण को ताफैसला दावा उक्त विवादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।</p> <p>प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते हुये आवेदक वकील को एकपक्षीय सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अनावेदक संख्या 19 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी तक विवादित भूमि राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम अम्बेडकर नगर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 550 रकबा 0.4700 है० तथा खसरा नम्बर 558 रकबा 0.0500 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.5200 है भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त आदेश प्रचलित, कटाणशुदा व रिकोर्डेड रास्तों पर तथा किसी दीगर न्यायालय के आदेश पर प्रभावी नही होगा। किसी भी अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के जबाब प्रस्तुत करने के बाद वकील प्रार्थी बहस हेतु बाध्य होंगे। आवेदक सी०पी०सी० रूल 39(3) की पालना सुनिश्चित करें। अनावेदकगण की तलबी आवेदक के खर्चे पर इस आदेश के प्राप्त होने के 24 घण्टे मे जरिये रजि० डाक से जारी हो। इस आशय का सपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। आगामी तारीख पेशी पर वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड डाक की रसीद व उनकी डिलीवरी रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 8/7/25 को पेश हो।</p> <p>सुशील कुमार सैनी(R.A.S.) ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़।</p>	
7/7/25	<p>आवेदिका सा. पत्र प्रिण्टल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू आजा निमत सा. ०२। आवेदिका सा. पत्र सा. पत्र पेश सा. पत्र सा. पत्र ये प्रिण्टल</p> <p>CONT..</p>	



ad. 12

CONT... को आगे नही चलाना चाहता है
ता. पुत्र इन्वीला मिला जाता है तथा
फाबला को इसी स्तर पर रखा
मिला जाता है फाबला फेसल शुभ
होम पर नम्बर से कम है तथा
परिवल फल है

ए. सी. ई. एम. (फा. दे.)
नवलगढ़